उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

'वित्त समिति' की चतुर्थ बैठक दिनांक 19—02—2009 के विनिश्चय

वित्त समिति' की चतुर्थ बैठक कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 19—02—2009 को सायं 03:00 पर सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी.

उपस्थितिः—

1. प्रो. डी एस चौहान, कुलपति यू. टी. यू., अध्यक्ष
2. प्रो एच सी नैनवाल, प्रतिकुलपति यू. टी. यू.,
3. श्री राकेश शर्मा, सचिव तकनीकी शिक्षा, सदस्य
4. श्री आर सी शर्मा, संयुक्त सचिव वित्त, सदस्य
5. श्री भूपेश तिवारी, वित्त नियंत्रक यू. टी. यू., सदस्य
6. डॉ. मृत्युंजय मिश्रा, कुलसचिव यू. टी. यू., सदस्य

विशेष आमंत्रीः—

1. श्री विजय ढ़ौंढ़ियाल, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः—

एजेण्डा बिन्दु — 1

दिनांक 19—11—08 को आयोजित की गई वित्त समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.

- दिनांक 19—11—08 को आयोजित की गई वित्त समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर किसी सम्मानित सदस्य से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.

एजेण्डा बिन्दु — 2

दिनांक 19—11—08 को आयोजित वित्त समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही.

- दिनांक 19–11–08 को आयोजित की गई वित्त समिति की तृतीय बैठक मे लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से वित्त समिति को अवगत कराया गया. समिति द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया तथा निम्नानुसार अग्रेतर निर्देश भी पारित किये गयेः
    - शासन द्वारा करवाये गये विशेष आडिट पर त्वरित कार्यवाही हेतु यह निर्णय लिया गया कि प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में श्री आर सी शर्मा, संयुक्त सचिव व श्री बी सी तिवारी, वित्त नियंत्रक की एक समिति उक्त रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण कर ले. यह समिति अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च 2009 तक वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी.

एजेण्डा बिन्दु – 3

नव नियुक्त कुलपति द्वारा देहरादून में किराये पर लिये गये आवास के सापेक्ष विश्वविद्यालय से किराये की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति.

- वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त चयनित आवास के प्रथम तल पर कुलपति आवास तथा भूतल पर कुलपति कैम्प कार्यालय तथा अतिथि गृह रखा जाय. कुलपति आवास हेतु रु. 10,000/–(दस हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी तथा कुलपति कैम्प कार्यालय तथा अतिथि गृह हेतु रु. 10,000/–(दस हजार मात्र) का मासिक भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा.

एजेण्डा बिन्दु – 4

विश्वविद्यालय हेतु भूमि क्रय/आवंटन किये जाने के संबंध में.

- समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन स्तर से भूमि हस्तान्तरण आदेश होने के उपरान्त नियमानुसार बाउण्डीवाल बनाने की कार्यवाही की जाय. इस हेतु रु. 50.00 लाख की धनराशि का प्रविधान संशोधित बजट में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी.

एजेण्डा बिन्दु – 5

विश्वविद्यालय के कार्यो हेतु दो नये वाहनों (स्टाफ कार) के क्रय के संबंध में.

(3)

- वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुरूप दो नये वाहनों (अम्बेसडर कार) के नियमानुसार क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी. इस प्रयोजन हेतु धनराशि का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से अर्जित धनराशि से किया जायेगा. शासन द्वारा इस हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी.

एजेण्डा बिन्दु – 6

सम्बद्धता शुल्क तथा सुरक्षा शुल्क की प्रस्तावित /पुनरीक्षित दरों की स्वीकृति हेतु विचार.

- वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुरूप सम्बद्धता शुल्क तथा सुरक्षा शुल्क की प्रस्तावित दरों के अनुसार वृद्धि किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी. नयी संशोधित दरें संलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं.

एजेण्डा बिन्दु–7

यू जी सी प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिकुलपति को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में.

- संबन्धित बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय आगामी कार्यपरिषद् में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करवाने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सकता है.

एजेण्डा बिन्दु – 8

विश्वविद्यालय हेतु किराये पर दो नये भवनों (डाटा सेन्टर एवं कार्यालय) की स्वीकृति पर विचार किये जाने के संबंध में.

(1) डाटा सेन्टर हेतु डिफेन्स कॉलोनी के सेक्टर 01 सी 15 देहरादून में स्थित भवन स्वामी श्री देवेन्द्र सिंह रावत का भवन , जिसका कार्पेट एरिया 7000 वर्ग फीट है, माह जनवरी 09 से रू. 10.15/– प्रति वर्ग फीट की दर से कुल रू0 71000.00/– प्रति माह की दर से माह जून 2009 तक लिये जाने की कार्येत्तर अनुमति प्रदान की गयी.

(2) विश्वविद्यालय की गरिमा तथा निधारित मानकों के अनुरूप नये भवन की आवश्यकता सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुरूप पूर्व में अलग–अलग स्थानों पर लिये गये भवनों को छोड़कर किसी एक स्थान पर, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर, भवन किराये पर लेने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करे. इस हेतु भुगतान किये जाने वाले किराये तथा उपलब्ध संशाधनों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाय.

(5)

एजेण्डा बिन्दु – 9

विश्वविद्यालय हेतु वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित आय–व्ययक की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में.

- चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु तथा पूर्व अनुमोदित प्रासंगिक मदों यथा विज्ञापन व्यय, समेस्टर परीक्षा व्यय, वाहनों का क्रय एवं विश्वविद्यालय के लिये प्राप्त होने वाली भूमि की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आय व्ययक (सलग्नक "ख") को अनुमोदित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी. यह भी स्पष्ट किया गया कि धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप तथा स्टोर पर्चेज नियमों के अनुसार किया जाय.

एजेण्डा बिन्दु – 10

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के द्वितीय चरण के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों को एकेडमिक स्वायत्तता दिये जाने के सबंध में. चर्चा.

- समिति द्वारा तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के द्वितीय चरण के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों को एकेडमिक स्वायत्तता दिये जाने के सबंध में सहमति प्रदान की गयी.

एजेण्डा बिन्दु–11

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय लिये जाने से पूर्व शासन की अनुमति के सबंध में.

- समिति द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय लिये जाने से पूर्व शासन की अनुमति लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी.

एजेण्डा बिन्दु–12

तकनीकी शिक्षा के जनहित से जुड़े मामलों को शासन के संज्ञान मे लाने तथा मार्गदर्शन लिये जाने के सबंध में.

(5)

- समिति द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जनहित से जुड़े मामलों को शासन के संज्ञान में लाने तथा निर्णय लिये जाने से पूर्व शासन से मार्गदर्शन लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी.

एजेण्डा बिन्दु–13

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि जागृत किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में इण्टरमीडिएट में भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित पढ़ा रहे शिक्षकों की राज्य स्तरीय गोष्ठी के आयोजन के सम्बन्ध में.

- समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करने के उपरान्त इसे बहुत उपयोगी पाया गया. यह निर्णय भी लिया गया कि इस प्रकार की गोष्ठी करने के लिये TEQUIP के पास उपलब्ध धनराशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाय.

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई.

(भूपेश तिवारी)
वित्त नियंत्रक

कृ. अनुमोदनार्थ

कुलपति